

--:संशोधन पत्र--:

मुख्यालय के पत्र संख्या-1332 दिनांक 12-06-2023 द्वारा वर्ष 2023-24 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण नीति जारी की गयी है उक्त स्थानान्तरण नीति के बिन्दु संख्या-12 में स्थानान्तरण किये जोन हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च, 2023 माने जाने का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सचल दल/ वि0अनु0शा0 कार्यालयों में तैनाती अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 31-07-2023 निर्धारित की गयी है। नीति के शेष प्रस्तर यथावत् रहेंगे।

(हस्ताक्षर)

(ओपीओ वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,

प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदय के अवलोकनार्थ।
- 3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ।
- 4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त आयुक्त (आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 6- समस्त अनुभाग अधिकारी राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
- 7- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 10- सहायक आयुक्त (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 11- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

अपर आयुक्त, राज्य कर,

प्रभार अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(हस्ताक्षर)

As
23/06/23

D. C. (I.T.)
22/06/23

1015